

कायालिय जनपद न्यायाधीश, देवरिया।


सार्वजनिक नीलामी सूचना

सेशन हाउस, देवरिया के प्रांगण में स्थित पुराना निस्प्रयोज्य गार्डरूम जिसका मूल्यांकन अंकेन रु० 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, देवरिया द्वारा किया गया है, के ध्वस्तिकरण व मलवा हटाए जाने हेतु तथा पुराने बाउन्डी वॉल के मलवा का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, देवरिया द्वारा रु० 65,000/- (पैंसठ हजार रुपये) किया गया है, का मलवा हटाने हेतु सार्वजनिक नीलामी दिनांक 20.09.2023 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में अप्राह्न 04:30 बजे नीलामी समिति जनपद न्यायालय, देवरिया की उपस्थिति में की जाएगी।

नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलाम किए जाने हेतु भवन व मलवा का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से 05:00 बजे सायं तक केन्द्रीय नजारत, जजी, देवरिया से सम्पर्क स्थापित कर, कर सकते हैं। नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं-

1. प्रत्येक बोली दाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. नीलामी की बोली बोलने से पूर्व उपरोक्त भवन व मलवा का भली-भांति पहचान व निरिक्षण कर लें।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु उपरोक्त उल्लिखित मूल्यांकन की धनराशि का अलग-अलग 20% (निकटतम पूर्णांक तक) जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
4. नीलामी केवल भवन एवं उसमें लगी अचल वस्तुओं के लिए ही है। फर्नीचर, फिक्सचर्स, चल संपत्ति आदि नीलामी में सम्मिलित नहीं हैं। भूमि पर पूर्ण अधिकार न्याय विभाग का होगा।
5. सभी बोली दाताओं को सभी नियम एवं शर्तों के पालन का घोषणा पत्र देना होगा।
6. यदि भवन को तोड़ते समय कोई पुरातत्व महत्व की अथवा खजाना/दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल विभाग एवं पुलिस प्रशासन को देना होगा तथा ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर अधिकार न्याय विभाग का होगा।
7. भवन के तोड़ने का कार्य प्रातः 10:00 बजे से 05:00 बजे सायं तक ही किया जा सकेगा।
8. भवन तोड़ते समय कोई श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति की होगी।
9. भवन को तोड़ते समय व मलवा हटाते समय सम्पूर्ण परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
10. संबंधित बोलीदाता/फर्म/व्यक्ति द्वारा ध्वस्त किये गए भवन के मलवे को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसर से हटाना होगा।
11. किसी भी उच्चतम नीलामी बोली को सरसरी तौर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
12. नीलामी बोली अनुमोदित किये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा।
13. अपूर्ण एवं गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण नीलामी की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।
14. अन्य कोई भी शर्त जो नीलामी से पूर्व समिति द्वारा घोषित की जाती है, उसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

दिनांक- 05.09.2023



(इन्दिरा सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-०१/

अध्यक्ष, नीलामी समिति

जनपद न्यायालय, देवरिया।